बिहार के लिये विशेष श्रेणी का दर्जा

चर्चा में क्यों?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से विशेष श्रेणी का दर्जा दिये जाने की **राज्य की पुरानी मांग को दोहराया।**

- इस दर्जे से बिहार को **केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व में वृद्धि** होगी।

मुख्य बिंदु:

- मुख्य चिंताओं में से एक **बिहार की प्रति व्यक्ति आय का कम होना** है, जो देश में सबसे कम ₹60,000 के आस-पास है। इसके अलावा, राज्य **विभिन्न मानव विकास संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे** है।
- इसके अलावा, बिहार की राजकोषीय स्थिति पर **राज्य के विभाजन जैसे कारकों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा** है, जिसके कारण उद्योग झारखंड के हिस्से में चले गए, सिंचाई के लिये पर्याप्त जल संसाधनों की कमी और लगातार प्राकृतिक आपदाएँ आईं।
- बिहार के वर्ष 2022 के जाति आधारित सर्वेक्षण से पता चलता है कि **राज्य के लगभग एक तिहाई लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।**
  - वर्ष 2023 में, बिहार सरकार ने अनुमान लगाया कि विशेष श्रेणी का दर्जा दिये जाने से राज्य को **94 लाख करोड़ गरीब परिवारों के कल्याण पर खर्च करने के लिये** पाँच वर्षों में अतिरिक्त **2.5 लाख करोड़ रुपए** प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- ऐतिहासिक रूप से, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को **कमज़ोर कानून व्यवस्था के कारण वृद्धि में धीमी गति** तथा **उच्च गरीबी स्तर** का सामना करना पड़ा, जिससे विकास को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले निवेश हतोत्साहित हुए।
- लेकिन अब, देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते राज्यों में से एक के रूप में न्यूनतम बिंदु से प्रारंभ करने के बावजूद, **बिहार ने हाल के वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति आय के स्तर** और अपनी **समग्र अर्थव्यवस्था के आकार को तेज़ गति से बढ़ाने में सफलता प्राप्त की** है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) राष्ट्रीय औसत 7.2% के मुकाबले 10.6% बढ़ा, जबकि वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति आय का स्तर वर्ष 2023 में 9.4% बढ़ा।

विशेष श्रेणी का दर्जा (Special Category Status- SCS)

- **परिचय:**
  - विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) एक वर्गीकरण है जो केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक प्रतिकूलताओं के आधार पर विकास में सहायता के लिये दिया जाता है।
  - यह योजना पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर **वर्ष 1969 में शुरू की गई थी।**
- **राज्य को विशेष दर्जा देने के लिये विचारणीय कारक:**
  - पहाड़ी और दुर्गम
  - कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा
  - अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रणनीतिक स्थान
  - आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन
  - राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिये **'विशेष श्रेणी का दर्जा'** समाप्त कर दिया है।
- **विशेष दर्जा प्राप्त राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-category-status-for-bihar